

# कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

## कार्यालय आदेश

शिक्षा अधिनस्थ सेवा एवं मंत्रालयिक सेवा के निम्नांकित कर्मचारियों को राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की आज्ञा संख्या पं. 20(1) वित्त गुप-2/दिनांक 25.1.92 एवं संशोधित आदेश दिनांक 22.11.93 एवं 17.2.98 एवं अधिसूचना संख्या पं.11(7) वित्त(नियम)2008/दिनांक 12.9.2008 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक पं.11(7)FD(नियम) 2008 पार्ट-I दिनांक 6.10.2008 के अनुसरण में नियमित नियुक्ति तिथि से 9/18/27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से चयनित वेतनमान के एवज में वित्तीय उन्नतिकरण आश्वसित कैरियर प्रगति स्कीम (A.C.P) स्वीकृत की जाती है। चयनित वेतनमान के एवज में वित्तीय उन्नतिकरण (आश्वसित कैरियर प्रगति स्कीम) (A.C.P) की स्वीकृति कॉलम संख्या 8 में अंकित दिनांक से प्रभावी होगी।

इन कर्मचारियों का वेतन निर्धारण (राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतन)नियम 2008 संबंधित कार्यालयध्यक्ष द्वारा वित्त विभाग के आदेश दिनांक 12.9.2008 के नियम 19 के अनुसार किया जाकर प्रति इस कार्यालय को भिजवाएँ, वेतन निर्धारण की प्रविष्टि कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जाने के साथ ही वेतन निर्धारण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि कर्मचारी पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है तथा कर्मचारी को विभागीय जॉच/कार्यवाही में दण्डित नहीं किया गया है।

जिन कर्मचारियों ने सेवा के दौरान पदोन्नति का परित्याग किया है ऐसे प्रकरणों में उनके लिए ये स्वीकृति आदेश निरस्त समझे जावें।

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.6.2001 के प्रावधानानुसार ऐसे राज्यकर्मियों जिनके दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात संतानोत्पत्ति से दो से अधिक बच्चे हो तो उनके लिए यह स्वीकृति आदेश निरस्त समझते हुए इस कार्यालय को मध्य सेवा पुस्तिका एवं मूल स्वीकृति के अविलम्ब सूचित करें।

| क्रसं | नाम कार्मिक मय पदस्थापन                                           | नियुक्ति तिथि | पे-बैंड    | अवधि वर्षों में | पे-ग्रेड |         | प्रभावी दिनांक             |
|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|----------|---------|----------------------------|
|       |                                                                   |               |            |                 | प्राप्त  | स्वीकृत |                            |
| 1     | 2                                                                 | 3             | 4          | 5               | 6        | 7       | 8                          |
| 1     | रणवीर सिंह, वअ<br>रामावि, दामोदरपुरा, बस्सी, जयपुर I              | 07.07.99      | 9300-34800 | 18              | 4800     | 5400    | 07.07.17                   |
| 2     | कविता अग्रवाल, वअ<br>राउमावि, मण्डावरी, फागी, जयपुर I             | 01.07.97      | 9300-34800 | 18              | 4800     | 5400    | 01.07.16<br>परिनिन्दा दण्ड |
| 3     | यशवर्धन नागर, सप्रअ<br>राउमावि, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर I           | 03.12.90      | 9300-34800 | 27              | 3600     | 4200    | 03.12.17                   |
| 4     | नवरतन शर्मा, वअ<br>राबाउमावि, भानपुरकला, जयपुर II                 | 27.09.99      | 9300-34800 | 18              | 4200     | 4800    | 27.09.17                   |
| 5     | संजय कुमार गुप्ता, वअ<br>रामावि, भीकली, दौसा                      | 22.11.99      | 9300-34800 | 18              | 4200     | 4800    | 22.11.17                   |
| 6     | सूर्य प्रकाश शर्मा, वअ<br>राउमावि, चावण्डेडा, दौसा                | 11.12.90      | 9300-34800 | 27              | 4800     | 5400    | 11.12.17                   |
| 7     | भगवान सहाय सैनी, वअ<br>राउमावि, खेडला गदाली, दौसा                 | 17.07.89      | 9300-34800 | 27              | 4800     | 5400    | 17.07.17<br>परिनिन्दा दण्ड |
| 8     | मोहन लाल पूर्विया, वअ<br>रामावि, बागपुरा ढाणी, छारेडा, लवाण, दौसा | 11.12.90      | 9300-34800 | 27              | 4800     | 5400    | 11.12.17                   |
| 9     | पंकज शर्मा, वअ<br>रामावि, कारोली, तिजारा, अलवर II                 | 21.10.99      | 9300-34800 | 18              | 4200     | 4800    | 21.10.17                   |
| 10    | राजेन्द्र प्रसाद मीना, वअ<br>राउमावि, माजरीकला, नीमराना, अलवर II  | 12.11.03      | 9300-34800 | 09              | 3600     | 4200    | 12.11.12                   |
| 11    | चन्दा पारीक, वअ<br>राउप्रावि, बढारना, झोटवाडा, जयपुर              | 04.12.90      | 9300-34800 | 27              | 4800     | 5400    | 04.12.17                   |
| 12    | लक्ष्मण प्रसाद सैनी, वअ<br>राउप्रावि, उदयपुरिया, चाकसू, जयपुर     | 08.11.88      | 9300-34800 | 27              | 4800     | 5400    | 08.11.15                   |
| 13    | शंकर लाल शर्मा, वअ<br>राबाउप्रावि, खोरालाडखानी, शाहपुरा, जयपुर    | 20.02.90      | 9300-34800 | 27              | 4800     | 5400    | 20.02.17                   |
| 14    | हनुमान लाल जाट, वअ<br>राउप्रावि, खतवाडीकला, सांभरलेक, जयपुर       | 13.12.90      | 9300-34800 | 27              | 4800     | 5400    | 13.12.17                   |

जिन कर्मिकों को दिनांक 31-12-06 से पूर्व A.C.P प्रभावी की गई है उन्हें उक्त स्वीकृति का नगद भुगतान दिनांक - 01 जनवरी-2007 से देय होगा। एवं उक्त आदेश में जिन पातेय वेतन पर कार्यरत व्याख्याता एवं प्रधानाध्यापक, रामावि को 27 वर्षीय ए0सी0पी0 स्वीकृत की गई है यदि विभाग द्वारा उक्त स्वीकृति की प्रभावी तिथि के बाद डी0पी0सी0 से चयन किया जाता है तो उनके लिए उक्त स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।

तु0वे0श्रु0 से व0अ0 पद पर पदोन्नत शिक्षकों के प्रकरण में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक- पं.5(23)प्राशि/2009 जयपुर दिनांक 06-10-2010 के अनुसार परीक्षण कर 27 वर्षीय ए0सी0पी0 स्वीकृत की गई है।

उप निदेशक(मा0)शिक्षा  
जयपुर सम्भाग जयपुर

दिनांक 23-04-2018

क्रमांक-शिलनि/मा/जय/संस्था-5/एफ-501 / 30 / 2018

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर को उनके द्वारा प्रेषित कर्मिकों/शिक्षकों की मूल सेवा पुस्तिका सहित भिजवाते हुए निवेदन है कि, इन सेवा पुस्तिकाओं को संबंधित के कार्मिक के कार्यालय में भिजवाने की व्यवस्था करें।
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम-द्वितीय, जयपुर/अलवर को उक्त कर्मिकों/शिक्षकों की मूल सेवा पुस्तिका सहित भिजवाते हुए लेख है कि, इन सेवा पुस्तिकाओं को संबंधित के मूल पदस्थापन स्थान पर भिजवाने की व्यवस्था करें
- संबंधित संस्था प्रधान/ संबंधित कार्मिक/शिक्षक।
- रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(मा0)शिक्षा  
जयपुर सम्भाग जयपुर